आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 45 / 14–15

मु० नीलिमा शरण वनाम् बुधन पासवान एवं अन्य

आदेश

28.04.15

आवेदिका मु० नीलिमा शरण पति स्व० डा० रविन्द्र शरण मोहल्ला–पाटलीपुत्र कॉलोनी क्वार्टर नं०–55 थाना–कोतवाली (पाटलीपुत्र) जिला–पटना, हाल मोकाम–केयाल, थाना–करपी जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से विवादित भूमि पर आवेदिका के अधिकारों का प्रख्यापन करने एवं सीमांकन कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–केयाल, थाना–करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
544	7024	24 बीधा 10 कट्टा	उत्तर–पईन,दक्षिण–वह,पूरब–वह,पश्चिम–पईन

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से सर्वप्रथम डाक के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया। पुनः अनुसेवी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया और नोटिस तामिला संपुष्ट किया गया। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि गैरमजरूआ मालिक थी जिसे भू–मालकिन स्व० दुल्हिन कुँवर के द्वारा बकास्त बनायी गयी और रिटर्न दाखिल किया गया।

(2) आवेदिका स्व० दुल्हिन कुँवर की एकमात्र संतान है जो काफी वृद्ध हो चुकी है।

(3) विवादित भूमि का राजस्व रसीद आवेदिका के पक्ष में कटती है और डिमाण्ड भी कायम है।

(4) प्रतिवादीगण के अवैध तरीके से अधिकार जताने से वादी को कानून का सहारा लेना पड रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में मॉगी गयी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया है।

दिनांक 09.04.2015 को प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के साथ मेरे

द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर भूमि परती एवं बंजर थी।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना स्थल जॉच एवं वाद मे पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि गैरमजरूआ मालिक भूमि है जिसे आवेदिका की माता दुल्हिन कुँवर के द्वारा बकास्त बनाया गया और जमींदार रिटर्न क्षतिपूर्ति वाद संख्या 46966/54–55 दाखिल किया गया है। उक्त भूमि का डिमाण्ड भी आवेदिका के नाम कायम है और लगान रसीद कट रहा है। पूर्व मे उक्त भूमि पर बी० एल० आर० एक्ट की धारा 4 (एच) की कार्यवाही वाद संख्या 01/70–71 भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के न्यायालय मे भी चली थी जो खारिज हो गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि पर आवेदिका के अधिकारों का प्रख्यापन किया जाता है। साथ ही विवादित भूमि का सीमांकन के लिए भी आदेश दिया जाता है। सीमांकन हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण की प्रतिनियुक्ति की जाती है। उन्हे निदेश दिया जाता है कि पारित आदेश के एक माह के उपरान्त विवादित भूमि का सीमाकन करें।

लेखापित एव सशोधित

28.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।